सं.1(3)/2008-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 07 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.07.2016 और 01.01.2017 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 22 अप्रैल, 2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जो **पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार** संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करते आ रहे हैं, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन 01.01.2016 से किया गया था।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर मौजूदा 245% की दर से बढ़ा कर निम्नानुसार संशोधित कर दी जाएगी:-

तारीख जिससे देय है	महंगाई भत्ते की प्रतिमाह स्वीकार्य दर
1.7.2016	**मूल वेतन का 256 %**
1.1.2017	**मूल वेतन का 264 %**

3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय इस मंत्रालय के 3 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा.सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3,4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव
07/04/2017

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि अग्रेषित: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।